16

2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES (x5)

विलोपित

न्यायालय – माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक :– /2017–18 निगरानी

निगरानी-3121/2018/शिवपुरी/स्थांप आधि

1. बृजमोहन पुत्र बद्रीप्रसाद गुप्ता
2. भावेश पुत्र बद्रीप्रसाद गुप्ता
3. योगेश पुत्र बद्रप्रसाद गुप्ता निवासीगण वार्ड नं0 15 कस्बा करैरा तहसील करैरा जिला शिवपुरी म0प्र0
4. द्रोपदी पति रामगोपाल साहू निवासी वार्ड 14 कस्बा करैरा तहसील करैरा जिला शिवपुरी म0प्र0

श्री आशीष कुमार बंसल, कौसि.
द्वारा आज दि. 21-5-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 29-5-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

....

निगरानीकर्तागण / उत्तरवादीगण

बनाम

Noted 29/5/18

1. देवकुंवर पत्नि स्व0 रामरतन कुशवाह
2. पर्वत सिंह पुत्र स्व0 रामरतन कुशवाह
3. मीरा पत्नि स्व0 सूरत सिंह कुशवाह
4. वीरसिंह पुत्र स्व0 सूरत सिंह कुशवाह
5. राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 सूरत सिंह कुशवाह
6. बलराम पुत्र स्व0 सूरत सिंह कुशवाह
7. गीता पुत्री स्व0 सूरत सिंह कुशवाह
8. प्रेम पुत्री स्व0 सूरत सिंह कुशवाह
9. मीरा उर्फ अनीता पुत्री स्व0 सूरत सिंह कुशवाह
10. मालती पत्नि स्व0 गोविन्द सिंह कुशवाह
11. हरि सिंह पुत्र स्व0 गोविन्द सिंह कुशवाह
12. अरविन्द पुत्र स्व0 गोविन्द सिंह कुशवाह
13. नीलम पुत्री स्व0 गोविन्द सिंह कुशवाह निवासीगण ग्राम श्योपुरा तहसील करैरा जिला शिवपुरी म0प्र0

..............प्रतिप्रार्थीगण / अपीलार्थीगण

14. कल्याण सिंह पुत्र श्री मोहनलाल कुशवाह निवासी ग्राम श्योपुरा तहसील करैरा जिला शिवपुरी म0प्र0

............प्रतिप्रार्थी/उत्तरवादीगण कमांक 4

निगरानी अंतर्गत धारा 56 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 विरूद्व आदेश दिनांक 5/4/2018 प्रकरण कमांक रा0प्र0क0 86/2017–18 अपील पारित अनुविभागीय अधिकारी करैरा बउनमान देवकुंवर आदि बनाम बृजमोहन आदि।

माननीय महोदय

प्रार्थीगण की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यहकि, रेस्पोडेण्ट कमांक 1 लगायत 13 ने प्रार्थीगण एवं प्रतिप्रार्थी कमांक 14 के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर तहसीलदार महोदय करैरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 8/1/2018 प्रकरण कमांक 60/2016–17/अ 27 को निरस्त करने की प्रार्थना कर निवेदन किया कि वाद ग्रस्त भूमि सर्वे कमांक 175 कुल रकवा 1.75 हैक्टेयर एवं सर्वे कमांक 178/1 रकवा 0.88 हैक्टेयर स्थित दिनांक श्योपुरा तहसील करैरा जिला शिवपुरी मैं है जो स्व0 मोहनलाल की थी उनके पुत्र रामरतन, सूरत सिंह और कल्याण सिंह हुये प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है। रामरतन व सूरत सिंह फोत हो गये हैं अपीलाण्ट उनके वारिस हैं। कल्याण सिंह ने अपने हिस्से की भूमि उत्तरवादीगण कमांक 1 लगायत 4/निगरानीकर्तागण को बिकय कर दी। उनके द्वारा अधिनस्थ तहसीलदार करैरा के न्यायालय में बटवारा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर से उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी के अवैध फर्द बटवारा को स्वीकार कर बटवारा कर दिया। जिसमें रास्ते का रकवा अधिक दर्शा दिया, नक्शे का विभाजन न्यायोचित नहीं किया। उक्त प्रकरण में अपीलार्थीगण ने उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की तथा दिनांक 30/12/17 को लिखित तर्क प्रस्तुत किये निर्णय हेतु दिनांक 8/2/18 नियत की गई। अधिनस्थ तहसीलदार न्यायालय करैरा ने उक्त प्रकरण का निराकरण दिनांक 8/1/18

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3121/2018/शिवपुरी/स्टांप अधि.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण अभी लंबित है। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत विलंब क्षमा किया गया है। विलंब क्षमा करना न्यायालय का विवेकाधिकार है और उसमें तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब कोई गंभीर वैधानिक त्रुटि हो, जबकि इस प्रकरण में ऐसा नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राहय योग्य न होने से अग्राहय की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	